(206) (82)

R. S272-द्वि/16

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर खण्डपीठ रीवा (म.प्र.)

R. S272-द्वि/16

रामस्वरूप कुशवाहा तनय मंगल प्रसाद कुशवाहा उम्र 62 वर्ष पेशा-खेती निवासी साकिन उचेहरा तहसील उचेहरा जिला सतना (म.प्र.)

.........निगरानीकर्ता

बनाम

1- स्टेट आफ म.प्र. द्वारा कलेक्टर सतना जिला सतना (म.प्र.)

2- श्री मुन्ना चमार पिता दीनबंधा चमार सा. कृपालपुर तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म.प्र.)

3- आनंद सिंह बघेल तनय मनमोहन सिंह बघेल सा. गली नं. 6 राजेन्द्र नगर सतना तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म.प्र.)

.........गैरनिगराकारगण

श्री रामस्वरूप कुशवाहा द्वारा स्वतः पेश किया गया। 22-6-16

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 28.03.2016 जो कलेक्टर सतना द्वारा प्र.क.32A19(III)/2015-16 में पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म.प्र.भू. रा.सं.

मान्यवर,

**निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :-**

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2016 विधि एवं कानून प्रकिया के विपरीत होने के साथ-साथ प्रकरण में आये तथ्यों के विपरीत होने से रद्द किये जाने योग्य है।

2- यह कि उक्त प्रकरण का निराकरण करते समय कलेक्टर सतना ने न तो प्रकरण को अच्छी तरह से देखा न ही उसे पढ़ा और न ही तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी रघुराज नगर के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को पढ़ा और ऐसा

रामस्वरूपकुशवाहा

(82)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक RS272-ग/16 जिला– सतना

रामस्वरूप कुशवाहा विरूद्ध रामसनेही मुंशी चमार

| (1) | (2) |
|---|---|
| 15.1.19 | 1. आवेदक की ओर से श्री ~~डी.एस.पी. मिश्रा~~ अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ ~~अपर कलेक्टर~~, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 32/अ.प.-ग/15-16 में पारित आदेश दिनांक 28-03-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-3-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।<br><br>सदस्य |

~~सतना न न ता प्रकरण का अच्छी तरह से देखा। न ही उसे पढ़ा और न ही तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी रघुराज नगर के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को पढ़ा और ऐसा~~

रामस्वरूपकुशवाहा